



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2010/फाल्गुन 19, 1931

No. 480]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2010/PHALGUNA 19, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

शुद्धिपत्र

CORRIGENDUM

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2010

New Delhi, the 8th March, 2010

का.आ. 571 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2493(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2009 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया है। भारत सरकार उक्त अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

S.O. 571(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government has constituted Uttar Pradesh State Ganga River Conservation Authority by the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 2493(E), dated the 30th September, 2009. The Central Government hereby makes the following amendment in Hindi Version of the said Notification, namely :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 8 में, "पर्यावरण विभाग" शब्दों के स्थान पर "शहरी विकास विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

In the said notification, in the paragraph 8, for the words "Department of Environment", the words "Department of Urban Development" shall be substituted.

[सं. ए-12011/7/2009-एनआरसीडी-II]

[No. A-12011/7/2009-NRCD-II]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. का. आ. 2493(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 2493(E), dated the 30th September, 2009.